

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11092020-221686  
CG-DL-W-11092020-221686

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

---

सं. 27] नई दिल्ली, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2020, शनिवार/भाद्र 8—भाद्र 14, 1942  
No. 27] NEW DELHI, AUGUST 30—SEPTEMBER 5, 2020, SATURDAY/BHADRA 8—BHADRA 14, 1942

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

---

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संस्कृति मंत्रालय  
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)  
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (वर्ग-III अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 को जहां तक उसका संबंध वरिष्ठ मूर्तिकार के पदों से है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में जहां तक उसका संबंध परियोजना मूर्तिकार पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने

का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, वरिष्ठ मूर्तिकार और परियोजना मूर्तिकार, के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वरिष्ठ मूर्तिकार और परियोजना मूर्तिकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता:- वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर के इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वरिष्ठ मूर्तिकार	4* (2020) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा के अवधारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग मैट्रिक्स विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धति से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ललित कला (मूर्तिकला) में स्नातक</p> <p>वांछनीय: केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार विभाग में रूपण अथवा मूर्तिकला में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के द्विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों इत्यादि से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अर्हता, लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के द्विवेकानुसार चयन के किसी स्तर पर यदि कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों की उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती है।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता: नहीं</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>75% सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>25% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति -</p> <p>वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) के स्तर -4 में मूर्तिकार ग्रेड II जिन्होंने इस ग्रेड में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो और मूर्तिकला में दो से चार सप्ताह की अवधि का सेवा कालिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य,</p> <p>(3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य; और</p> <p>(4) उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

<p>विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी और स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>क (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स (29,200-92300 रु.) के स्तर 5 के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। अगली उच्चतर श्रेणी प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>(1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण- अध्यक्ष,</p> <p>(2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य,</p> <p>(3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य, और</p> <p>(4) उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य</p>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. परियोजना मूर्तिकार	1* (2020) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसूचित्वीय	स्तर- 7 (रु. 44,900- 142400/- रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: स्तर-6 (35400-112400/- रु. के वेतनमान) में ऐसे वरिष्ठ मूर्तिकार जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिसके पास मूर्ति बनाने आदि में दो से चार सप्ताह का सेवाकालिक प्रशिक्षण लिया हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम है, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -अध्यक्ष</li> <li>2. संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य</li> <li>3. निदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य</li> <li>4. उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण -सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

[सं. 3-5/2019-योजना एवं एचआरडी (आरआर)]

पी.जी. कलाधरन, निदेशक (प्रशासन)

**MINISTRY OF CULTURE**  
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

New Delhi, the 31st August, 2020

**G.S.R. 125.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class III – Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 1968 in so far as it relates to the post of Senior Modeller and the Archaeological Survey of India (Group 'A and 'B' Gazetted posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as it relates to the post of Project Modeller, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Modeller and Project Modeller in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Senior Modeller and Project Modeller (Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.** — The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** —The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Disqualification.** — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Modeller	4*(2020) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted Non-Ministerial	Level - 6 (Rs.35400-112400)	Selection post	Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government.) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct Recruits will apply in case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential</b> Bachelor of Fine Arts (Sculpture) from recognised University or Institute. <b>Desirable</b> Two years experience in moulding or sculpture work in a Central or State Government department. <b>Note:</b> 1. Qualifications are	Age: No Educational qualification: No	Two years	75% by Direct Recruitment; 25% by Promotion failing which Deputation including Short Term Contract.

<p>relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note: 2.</b> The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Modeller Grade I in Level-5 (Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade and having successfully undergone in-service training of a duration of two to four weeks in sculpture making etc.</p> <p><b>Deputation (Including Short Term Contract):</b> Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or Recognised University or Institute or Research Institution:- (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in Level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits in Column-7 of the schedule.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General Archaeological Survey of India – Chairman;</li> <li>2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India – Member;</li> <li>3. Director (Administration), Archaeological Survey of India -Member; and</li> <li>4. Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General Archaeological Survey of India – Chairman;</li> <li>2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India – Member;</li> <li>3. Director (Administration), Archaeological Survey of India – Member; and</li> <li>4. Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India – Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Project Modeller	1*(2020) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Level-7 (Rs.44900-142400)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Senior Modeller in Level-6 (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and have successfully undergone in-service training of a duration of two to four weeks in sculpture making etc.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director General Archaeological Survey of India -Chairman</li> <li>2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India -Member</li> <li>3. Director (Administration), Archaeological Survey of India -Member</li> <li>4. Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India -Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>



is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
---	--	--

[No.3-5/2019-Plg &amp; HRD (RR)]

P.G. KALADHARAN, Director (Admn.)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (समूह-III अराजपत्रित पद), भर्ती नियम, 1968 तारीख 15 जून, 1968 को जहां तक उसका संबंध फोटोग्राफर ग्रेड-I भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह II, अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1973 तारीख 16 नवम्बर 1973, ज्येष्ठ फोटोग्राफर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह I और II राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 और फोटो अधिकारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, फोटो अधिकारी और ज्येष्ठ फोटोग्राफर के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, फोटो अधिकारी और ज्येष्ठ फोटोग्राफर (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।